न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 9/17

R.C.M.S. id : 2017/00034

कान्तिबाई पुत्री स्व. रतनलाल पत्नी दीपचन्द, जाति जाटव, आयु 82 साल, निवासी ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी सन्तोषी नगर, कोटा

(प्रार्थिया)

बनाम

1. पुरूषोत्तम पुत्र स्व. रतनलाल, जाति जाटव
2. प्रेम पुत्री स्व. भीमलाल पत्नी तेजकरण, जाति जाटव
3. धर्मपाल पुत्री स्व. भीमलाल, जाति जाटव
4. बुद्धा आत्मज स्व. श्रवण, जाति जाटव
   निवासीगण ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मण्डाना जरिये प्रबन्धक महोदय
7. उप पंजीयक, उप तहसील मण्डाना, जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. टी. एक्ट

दिनांक : 11.03.2020

उपस्थिति : श्री मुकुट बिहारी पारेता, अभिभाषक प्रार्थिया
श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

1- प्रार्थिया की ओर से मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- *प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि –*

- प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के दादा व अप्रार्थी क्रम 4 के पिता स्व. श्रवण जी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 594, 595, 596, 597, 602, 665, 673 व 681 कुल किता 8 रकबा 2.55 हैक्टर आराजी वाके ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित चली आ रही है, जो प्रार्थिया के दादा श्रवण जी की सम्पत्ति होने से पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें प्रार्थिया का कानूनी अधिकार व हिस्सा निहित है। वर्तमान में उक्त आराजी में से 0.26 हैक्टर आराजी नेशनल हाईवे विभाग द्वारा अवाप्त करने के पश्चात चालू जमाबन्दी अननुसार कुल खसरा संख्या 8 रकबा 2.29 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें प्रार्थिया अपने निहित हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है।
- स्व. श्रवण जी के 3 पुत्र क्रमशः भीमलाल, बुद्धा, रतनलाल हुये जिनका उक्त आराजी में 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है। भीमलाल जी के 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी क्रम 2 व 3 तथा बुद्धा स्वयं अपने 1/3 हिस्से पर तथा रतनलाल जी के

Scanned by CamScanner

1/3 हिस्से पर प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम–1 काबिज काश्त चले आ रहे है। रतनलाल जी की मृत्यु के पश्चात फोती इंतकाल में अप्रार्थी क्रम–1 ने एकमात्र वारिस बताकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जबकि प्रार्थिया भी स्व. रतनलाल जी की जाइन्दा पुत्री होने से उनके हिस्से की आराजी में निर्वसीयती मृत्यु होने के कारण 1/3 में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 रकबा 0.425 हैक्टर आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाने की कानूनी अधिकारिणी है।

- प्रार्थिया अपने हिस्से की उक्त आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है लेकिन अप्रार्थी क्रम–1 का राजस्व रिकार्ड में नाम होने के आधार पर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा है जबकि उक्त आराजी पैतृक और संयुक्त खाते की है, जिसे बेचने का अप्रार्थी क्रम–1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा स्व. रतनलाल जी के फोती इंतकाल मात्र अपने नाम खुलवाने के कारण तथा उक्त आराजी से प्रार्थिया को बेदखल करने के कारण दिनांक 20.02.2017 को बेचान करने की धमकी देने के कारण प्रार्थिया द्वारा मूल वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
- प्रार्थिया का केस प्रथम दृष्ट्या है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थिया का उक्त आराजी के 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा निहित है और प्रतिपक्षी क्रम–1 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज केवल अपने नाम के आधार पर यदि उक्त आराजी को बेचान, खुर्द बुर्द, रहन, बैय कर दिया गया तो प्रार्थिया को अप्रार्थी के मुकाबले ज्यादा हानि होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं हो सकेगी और अनेकों विवाद उत्पन्न होगें।
- अतः प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 7 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थन पत्र में वर्णित आराजी को किसी प्रकार से रहन, बैय, हिब्बा, खुर्द बुर्द ना करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 उक्त आराजी बाबत यथास्थिति बनाये रखे व किसी प्रकार का संव्यवहार आराजी बाबत ना करें। अप्रार्थी संख्या–1, प्रार्थिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदालखत एवं मजाहमत पैदा ना करे।
- प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा स्थित प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित राजस्व अभिलेख की प्रतियां संलग्न पेश की गई है –

(i) जमाबन्दी संवत 2071–2074
(ii) जमाबन्दी संवत 2038–2057
(iii) मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
(iv) जमाबन्दी संवत 2031–2034
(v) जमाबन्दी संवत 2023–2036

3- *अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थिया के कथन अस्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि –*

* विवादित आराजी से प्रार्थिया कान्तिबाई का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा है।
* भीमलाल, बुद्धा व रतनलाल पुत्रान स्व. श्रवण तीनों भ्रातागण का उक्त आराजी मे हिस्सा बराबर 1/3 होना स्वीकार है। रतनलाल की मृत्यु होने के बाद उनके

Scanned by CamScanner

1/3 हिस्से की आराजी पर अप्रार्थी नम्बर–1 पुरूषोत्तम का नाम पूर्णतः वैध रूप से अप्रार्थी नम्बर–1 के बाल्यकाल से ही दर्ज चला आ रहा है। मुझ अप्रार्थी नम्बर–1 की जानकारी के मुताबिक वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया कान्तिबाई का स्व. रतनलाल से कोई सम्बन्ध न होने से उसका किसी भी प्रकार का हक होना स्वीकार नहीं है तथा उसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक भी कोई हक प्राप्त नहीं होते है।

* प्रार्थिया वादग्रस्त भूमि की टीनेन्ट नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उसका किसी भी प्रकार का टाईटल प्रमाणित हुये बिना उसे रेकार्डेड सहखातेदारान के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।
* प्रार्थना प्रार्थिया पूर्णतः गैरकानूनी एवं आधारहीन मानते हुये उसे अस्वीकार कर विशेष आपत्तियों में कथन किया कि –
* प्रार्थिया कान्तिबाई, भूरीबाई बेवा गंगाराम यादव, साकिन पामाखेडी, तहसील रामगंजमण्डी की पुत्री है तथा दीपचन्द जाटव की बेवा है। उसका स्व. रतनलाल व श्रीवणजी से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।
* प्रार्थिया ग्राम कसार की कभी भी निवासी नहीं रही है तथा प्रार्थिया सन्तोषी नगर कोटा की ही स्थाई निवासिनी होने से उसे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का हक प्राप्त न होने से उक्त वाद प्रस्तुत करने का भी कोई Locus Standie नहीं है।
* वादिनी वादग्रस्त भूमि की टीनेन्ट नहीं है तथा उसे रिकार्डेड खातेदारान के विरूद्ध कोई टाईटल प्राप्त न होने से उसके हक में किसी प्रकार का प्राईमाफैसी टाईटल, सुविधा संतुलन तथा अपरिमित क्षति होने का भी प्रश्न न होने से उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

4- प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थिया के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि स्व. श्रवण जी विवादित आराजी के खातेदार थे। स्व. श्रवण जी के तीन पुत्र भीमलाल, बुद्धा व रतनलाल थे अर्थात स्व. श्रवण की विवादित आराजी में उनके तीनों पुत्रों का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित था। स्व. श्रवण जी के पुत्र स्व. रतनलाल जी के एक पुत्र व एक पुत्री सन्ताने थी। राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्व. रतनलाल जी का फोती इंतकाल खोलते समय उनके पुत्र प्रतिवादी–1 पुरूषोत्तम का ही नाम दर्ज किया गया और उनकी पुत्री प्रार्थिया कान्तिबाई का नाम दर्ज नहीं किया गया, जबकि, प्रार्थिया भी प्रतिवादी क्रम–1 के साथ 1/3 हिस्से की अधिकारिणी है। इस प्रकार विवादित आराजी में प्रार्थिया का 1/6 हिस्सा निहित है किन्तु प्रतिवादी क्रम–1, विवादित आराजी में दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर आराजी के 1/3 हिस्से को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी क्रम–1 ने प्रार्थिया के हिस्से का बेचान कर दिया प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थिया की ओर से दावा पेश करने पूर्व अप्रार्थी क्रम–1 को दिये गये लीगल नोटिस के जवाब में उनके एडवोकेट ने प्रार्थिया को अप्रार्थी–1 की बहिन होना स्वीकार किया है। अतः ताफैसला वाद प्रार्थिया को अप्रार्थी–1 के विरूद्ध आराजी को बेचान, हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द न करने तथा अप्रार्थी क्रम–5,6,7 को आराजी सम्बन्धी कोई संव्यवहार स्वीकार न करके आराजी की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।
अप्रार्थी क्रम 1, 2, 4 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम–1, वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार विवादित

Scanned by CamScanner

आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। स्व. रतनलाल की मृत्यु के समय श्रवण जी जीवित थे इस कारण श्रवण जी द्वारा ही स्व. रतनलाल का फोती इंतकाल अप्रार्थी क्रम–1 के नाम खुलवाया गया था। इस प्रकार प्रार्थिया का केस प्रथम दृष्ट्या नहीं है। विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत 2051–2054 (वर्ष 1994–97) में ही अप्रार्थी क्रम 1 का नाम दर्ज हो चुका था, तो प्रार्थिया द्वारा आदिनांक तक यह मांग पहले क्यों नहीं की गई ? अप्रार्थी क्रम–1 विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थिया कभी कसार गांव में भी नहीं गई है अर्थात अप्रार्थिया कभी भी विवादित आराजी पर काबिज काश्त नहीं रही है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी–1 के नाम विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा दर्ज होने से लेकर आदिनांक तक अप्रार्थी ने अपने हिस्से को खुर्द बुर्द करने का कभी प्रयास नहीं किया बल्कि आराजी का विकास ही किया है। प्रार्थिया, स्व. रतनलाल की पुत्री नहीं है, तो फिर उसे किसी भी प्रकार की क्षति होने की भी कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में बुद्धा उर्फ बुद्धालाल पुत्र स्व. श्रवण का शपथ पत्र एवं न्यायिक दृष्टान्त RBJ 1997 Page 44, RBJ 1997 Page 621, RBJ(4) 1997 Page 481-484, RBJ 2016 Page 245-247, RRT 2015(1) Page 633-636 & RRT 2009 Page 1398-1401 पेश किये गये है।

5- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 के प्रावधानानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने हेतु निम्न तथ्यों पर विचार किया गया –

(क) *प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie) केस :–*

किसी भी प्रकरण का प्रथम दृष्ट्या मामला कायम करने के लिये चार आवश्यक तत्व है–

① एक कानूनी कर्तव्य का अस्तित्व जो प्रतिवादी को वादी के लिये बकाया है।
② प्रतिवादी के उस कर्तव्य का उल्लंघन
③ वादी का चोट की पीडा
④ सबूत है कि प्रतिवादी के उल्लंघन के कारण चोट लगी।

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी क्रम–1 विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का अभिलिखत काश्तकार खातेदार है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 के साथ ही समान हिस्सेदार होने की प्रार्थना करते हुये विवादित आराजी में स्वयं का 1/6 हिस्सा बताया है परन्तु वह स्व. रतनलाल की मृत्यु के बाद से कभी भी विवादित आराजी की खातेदार नहीं रही है। प्रार्थिया की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया जो प्रार्थिया का स्व. रतनलाल से किसी प्रकार का सम्बन्ध दर्शाता हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी क्रम–1 का प्रार्थिया के प्रति कोई कानूनी कर्तव्य बकाया नहीं है। ऐसा तो तब होता जबकि प्रार्थिया विवादित आराजी की कभी सहखातेदार रही होती अथवा वर्तमान में सहखातेदार होती अथवा उसके नाम फोती इंतकाल खुला होता और फिर भी अप्रार्थी क्रम–1 उसके हक व अधिकार को छीनने का प्रयास करता तो यह कानूनी कर्तव्य अप्रार्थी–1 का बकाया होता। अब जबकि प्रार्थिया के प्रति अप्रार्थी क्रम–1 का कोई कानूनी कर्तव्य बकाया ही नहीं है तो उसके उल्लंघन

Scanned by CamScanner

का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये। चूंकि विवादित आराजी वर्तमान में भी पूर्व की ही भांति विद्यमान है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा अपने 1/3 हिस्से की आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं किया है और ना ही प्रार्थिया को किसी प्रकार की चोट पहुंचाई गई है। अप्रार्थी–1 के किसी भी कानूनी उल्लंघन से प्रार्थिया को किसी भी प्रकार की चोट लगी होने का कोई सबूत भी पेश नहीं किया है। अतः हम कह सकते है कि उपरोक्त आवश्यक तत्वों के प्रार्थिया के पक्ष में नहीं होने के कारण यह प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie) मामला नहीं है।

(ख) *सुविधा का सन्तुलन :–*

इस बिन्दु को अपने पक्ष में सिद्ध करने के लिये वादी को स्वयं को अभिलिखित खातेदार तथा काबिज काश्त होना प्रमाणित करना होता है अर्थात प्रार्थी के खातेदार होने तथा आराजी पर काबिज काश्त होने की स्थिति में ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल माना जायेगा। इसमें भी प्रार्थी का काबिज काश्त होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यदि प्रार्थी अभिलिखित खातेदार तो है किन्तु काबिज काश्त नहीं है तो उसे अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकेगी वहीं दूसरी ओर यदि प्रार्थी खातेदार नहीं है और विवादित आराजी पर काबिज काश्त है तो भी सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के ही पक्ष में माना जा सकता है परन्तु कब्जे के अभाव में सुविधा का सन्तुलन मान्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा स्वयं के अभिलिखित खातेदार होने अथवा अभिलिखित खातेदार घोषित होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये है और ना ही उनके द्वारा पेश कोई दस्तावेज ऐसा सिद्ध करने में सफल रहा है। स्वयं को काबिज काश्त साबित करने एवं स्वयं की कोई फसल होने का भी कोई प्रमाण पेश नहीं है। इस प्रकार प्रार्थिया का विवादित आराजी का अभिलिखित काश्तकार होने, उसका विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने तथा आराजी पर उसके काश्त की फसल खडी होने का कोई प्रमाण नहीं होने फलस्वरूप सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है।

(ग) *अपूरणीय क्षति का बिन्दु :–*

प्रथम दृष्ट्या मामला होने तथा सुविधा का सन्तुलन पक्ष में होने पर, जो पक्षकार स्थगन आदेश चाहता है, उसे ऐसी आशंका होनी चाहिये कि, यदि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिया गया तो उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में धन के रूप में नहीं की जा सकेगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया ने विवादित आराजी में अपना 1/6 हिस्सा मानते हुये अप्रार्थी क्रम–1 को आरोपित किया है कि वह विवादित पैतृक आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। यहॉ, यह भी देखना होगा कि, प्रार्थिया अभिलिखित खातेदार नही है और स्वयं को विवादित आराजी की सहखातेदार घोषित होने की योग्यता प्राप्त करने में भी असफल रही है जबकि अप्रार्थी क्रम–1 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थिया विवादित आराजी पर काबिज काश्त भी नहीं है जबकि अप्रार्थी–1 काबिज काश्त है। प्रकरण में यह प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं होने तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के पक्ष में नहीं होने के फलस्वरूप प्रार्थिया को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होना संभावित नहीं है क्योंकि अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा विवादित आराजी में दर्ज अपने नाम का अनुचित लाभ उठाकर आदिनांक तक विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने का कोई प्रयास किया हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी क्रम–1 की ओर से पेश न्यायिक दृष्टान्त RBJ 1997 Page 44, RBJ 1997 Page 621, RBJ(4) 1997 Page 481-484, RBJ 2016 Page 245-247, RRT 2015(1) Page 633-636 & RRT 2009 Page 1398-1401 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का उसके गुणावगुण के आधार पर विवेचन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी क्रम–1 का विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का खातेदार होने तथा काबिज काश्त होने तथा प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं होने एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्राश्रिया बावत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर रो कम हो तथा बाद तामील तकमील संलग्न मूलवाद हो।

7- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11 मार्च, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/3/2020

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner